राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक :– प.42/मुसप्र/स्टाम्प ड्यूटी में छूट/2013//1324 दिनांक :– 15/2/13

परिपत्र

वित्त विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना प.2(19) वित्त/कर 2007–96 दिनांक 31.12.2012 द्वारा आवासन मण्डल के स्तर पर आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के लीजडीड जारी करने के पूर्व किए गए प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित हस्तान्तरण पर देय बाजार दर के स्थान पर मूल आवंटन राशि पर पंजीयन करने की छूट दिनांक 31.03.2013 तक निम्न शर्तों पर प्रदान की गई है:–

1. लीज होल्डर अपनी लीजडीड के साथ आवासन मण्डल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें मूल आवंटन राशि तथा स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेजों की संख्या का उल्लेख हो।
2. पंजीयन अधिकारी लीजडीड के पंजीयन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेज पर घटी दर पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया है।
3. ऐसे मध्यवर्ती अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर निष्पादित लीजडीड पंजीयन हेतु 31.03.2013 तक प्रस्तुत की जा सकेगी।

वित्त कर विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 की अनुपालना हेतु पूर्व में विभाग स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक प.42 मुसप्र/नियमितिकरण/2010–11/2391 दिनांक 24.12.2010 की भांति संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता/सम्पदा प्रबन्धक/लेखाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवासन मण्डल द्वारा नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति/परिजात योजना/स्वपोषित योजना/खुली बिक्री योजना/नीलामी द्वारा विक्रय/आवंटित स्थावर सम्पत्ति/आवासों जिनका विक्रय लीजडीड/कन्वेंस डीड जारी किए बगैर मध्यवर्ती अपंजीकृत और अमुद्रांकित दस्तावेजों (इकरारनामा, मुख्तयारनामा) के आधार पर किया गया है तो अंतिम क्रेता के पक्ष में लीजडीड/कन्वेंस डीड जारी की जाकर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 की शर्त संख्या 1 के अनुसार प्रमाण–पत्र जारी किया जावे तथा यदि कोई राशि बकाया हो तो बकाया राशि जमा की जावे। लीजडीड/कंवेंसडीड का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात् ही पंजीकृत लीजडीड/कन्वेंस डीड के आधार पर आवासन मण्डल के अभिलेख में नामांतरण स्वीकार किया जावे। लीजडीड/कन्वेन्स डीड में इस आशय का नोट अंकित किया जावे कि लीजडीड/कन्वेंस डीड का पंजीयन होने के उपरान्त ही आवासन मण्डल के अभिलेख में हस्तान्तरण मान्य होगा।

अतः सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवासों के नियमन संबंधित विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार समयबद्ध कार्यक्रम के तहत् सुनिश्चित करें तथा साप्ताहिक सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें एवं दिनांक 4.03.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की विज्ञप्ति प्रकाशित कर आक्षेप प्राप्त करने की अवधि में जांच व बकाया राशि की गणना आदि का कार्य पूर्ण कर लिया जावें। जिन प्रकरणों में आक्षेप प्राप्त नहीं होते है उन्हें दिनांक 18.03.2013 तक अनिवार्य रूप से मांग राशि जमा कराने का पत्र जारी किया जावे। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रखे।

1.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	04.03.2013
2.	समाचार पत्रो में प्रकाशन की तिथि	06.03.2013
3.	आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	15.03.2013
4.	मांग पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	18.03.2013
5.	मांग राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि	20.03.2013
6.	नियमन आदेश जारी करने की अन्तिम तिथि	22.03.2013
7.	पंजीयन हेतु विलेख पत्र जारी करने की अन्तिम तिथि	25.03.2013

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय को अनुमोदन प्राप्त है।

(नीरज के0 पवन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव– आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, पीएण्डएम/वित्तीय सलाहकार/तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त/जन सम्पक्र अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त–......................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–......................., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
7. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक